तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 26/2026 रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 15.04.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त **नर्बदा** अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री सुनील पालीवाल उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि साक्ष्य प्रतिरक्षा हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं।

प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा में और अवसर दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।

अतः साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया जाता है।

पत्रावली बहस अंतिम में नियत की जाती है।

अधिवक्ता अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 22.04.2026 को पेश हो।